राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : वसूली/2018–19/71/87 दिनांक : 11-6-18

–:: कार्यालय आदेश ::–

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर से प्राप्त आदेश क्रमांक प.3(176)नविवि/3/1984 दिनांक 06.06.2018 में दिये गये निर्देशों में बिन्दु सं. 01 से 03 की पालना सुनिश्चित की जावे।

उक्त आदेश को सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

वित्तीय सलाहकार

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उप शासन सचिव प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
4. निजी सचिव– मुख्य अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. सचिव/वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. अति. मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय P&M, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. उप वित्तीय सलाहकार, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. उप आवासन आयुक्त वृत्त ..... राज. आवा. मं., ...
11. आवासीय अभियन्ता, खण्ड ..... राज. आवा. मं., ...
12. जन सम्पर्क अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
13. लेखाधिकारी (वृत्त) ..... राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
14. ~~कम्प्यूटर~~ प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त को मण्डल की वेबसाईट पर डलवाये व सभी को मेल करे।
15. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार

Computer Copy

D:\Recovery Cell\pOffice Order.rtf

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

जयपुर दिनांक :- 06.6.18

क्रमांकः प.3(176)नविवि / 3 / 1984

आयुक्त,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर।

विषयः ई.डब्ल्यू.एस. / एल.आई.जी. एवं मध्यम आय वर्ग के आवासों की बकाया राशि के छूट के संबंध में।

संदर्भ:– आपका पत्र क्रमांक वसूली / प(1) / 71 / 16 दिनांक 30.04.2018 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित द्वारा इस विभाग समसंख्यक आदेश दिनांक 19.02.2018 के क्रम में निम्नांकित बिन्दुओं पर मार्गदर्शन चाहा गया है। विभाग के सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त लिए गये निर्णय के अनुसार निम्नांकित बिन्दुओ पर मार्गदर्शन निम्न प्रकार है

क्र.सं.	राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा चाहे गये मार्गदर्शन	विभागीय निर्णय
1	ब्याज व पेनल्टी में छूट की समयावधि (अंतिम तिथि) अंकित नहीं है।	आदेश दिनांक 19.02.2018 के द्वारा दी गई छूट मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के अन्तर्गत है जो इस योजना की अवधि तक रहेगी। योजना की अवधि 30.06.2018 तक बढाई हुई है।
2.	मध्यम आयवर्ग "अ" एवं "ब" दोनों वर्ग के आवासों पर शत प्रतिशत ब्याज व पेनल्टी में छूट दिया जाना है अथवा नहीं ?	आदेश दिनांक 19.02.2018 के द्वारा मध्यम आय वर्ग को दी गयी छूट मध्यम आय वर्ग "अ" एवं "ब" दोनों श्रेणीयों के आवासों पर लागू है।
3.	जिन आवासों की किश्ते / कब्जा राशि जमा कराने की समयावधि पूर्ण / समाप्त हो गई है उनको भी शत–प्रतिशत छूट दी जानी है अथवा नहीं ?	ब्याज एवं पेनल्टी की छूट दिनांक 01.01.2001 से पूर्व तथा दिनांक 01.01.2001 के पश्चात् आवंटित आवासों की बकाया किश्तों को एक मुश्त जमा कराने पर लागू होगी। यदि किश्तों की समयावधि समाप्त होने पर आवासों का स्वतः निरस्तीकरण हो गया है तो ऐसी अवस्था में भी बकाया किश्तें एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं पेनल्टी की छूट देते हुये आवासन मण्डल अपने स्तर पर बहाली कर नियमितिकरण की कार्यवाही कर सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,
06/6/18
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

AAO/Soni 6/6/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. वित्तिय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

06/6/18
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम